

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़.312001;Ph&Fax :01472-241049;email : dcf.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2025 -26/12736

दिनांक : 8.9.2025

निमित्त,

सहायक अभियन्ता, (प व स)
अ.वि.वि.नि. लि., बेगूं

विषय :- Diversion of 6.54 ha of forest land in favour of Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited for creation of 33 KV line to new grid sub-station Jogniya Mata, Chittorgarh Territorial Division. (Proposal No. FPRJ/TRANS/50545/2020)

प्रसंग :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर का पत्र क्रमांक दिनांक 15.5.2025 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 10410 दिनांक 9.6.2025 के क्रम में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 690 दिनांक 4.7.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निम्नानुसार आक्षेप लगाए गए हैं। जिसके प्रत्युत्तर में आप द्वारा अपूर्ण जवाब तैयार किया जाकर संदर्भित पत्र द्वारा आज दिनांक 8.9.2025 को पत्र वाहक के साथ इस कार्यालय में भिजवाया गया।

प्राप्त प्रत्युत्तर का अवलोकरण करने पर पाया गया कि आपके द्वारा आक्षेप संख्या 1 की पूर्ति नहीं की जाकर प्रत्युत्तर में **"इससे संबंधित नहीं है"** लिख कर भिजवाया गया है।

उक्त प्रस्ताव प्रत्युत्तर के अभाव में काफी लम्बे समय से उच्च कार्यालय को अग्रेषित नहीं हो पा रहा है। यदि उक्त प्रस्ताव का प्रत्युत्तर अविलम्ब आपके द्वारा प्रेषित नहीं किया जाता है, तो यह मान लिया जावेगा की आप उक्त प्रस्ताव में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं और इसी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव को निरस्त किए जाने हेतु उच्च कार्यालय को पत्र प्रेषित कर दिया जावेगा जिसके लिए आपका विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा।

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	At the 24th REC, it was determined that the User Agency must supply accurate Employment Generation data and an area calculation sheet prior to its presentation to the REC. Therefore, State Govt is requested to submit the correct data of employment Generation and area calculation sheet.	
2	The transmission line shall be laid underground only and accordingly, you are requested to revise the proposal.	
3	इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड कराये ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।	

Rahul
(राहुल झाझडिया)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2025 -26/12737-41

दिनांक : 8.9.2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान - जयपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
3. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
4. अधिक्षण अभियन्ता, अ.वि.वि.नि. लि., चित्तौड़गढ़
5. अधिशाषी अभियन्ता, अ.वि.वि.नि. लि., बेगूं को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रस्ताव में आक्षेपों की पूर्ति करवाकर 3 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Rahul
(राहुल झाझडिया)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़